प्रेस नोट 06.10.2020

दिनांक 04.10.2020 से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे आपत्तिजनक वीडियो का आरोपी गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन मे अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में व अपर पुलिस अधीक्षक श्री त्रिभुवन नाथ त्रिपाठी के कुशल पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी घोसी के नेतृत्व में एसओजी/सर्विलांस टीम व थाना घोसी पुलिस को उस समय अहम सफलता हाथ लगी जब दिनांक 04.10.2020 को आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने पर थाना कोपागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0 529/20 धारा 153ए, 504 भादवि0 व 67 आइटी एक्ट में नामित फरार/वांछित अभियुक्त **कमल भारती पुत्र रामपत राम निवासी भांवरकोल थाना कोपागंज मऊ सहित** दो अन्य सह अभियुक्तों क्रमशः गनेश भारती पुत्र पतिराम निवासी भवरकोल थाना कोपागंज मऊ व रवीन्द्र गौतम पुत्र स्व0 बसन्त राम निवासी भदसा मानवपुर थाना कोपागंज मऊ को आज दिनांक 06.10.2020 को पिढवल मोड़ से गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 04.10.2020 से सोशल मीडिया पर एक आपत्तिजनक विडियों वायरल हो रहा है जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जातीय टिप्पणी करते हुये जाति विशेष को गाली देना एवं भावनाओं को ठेस पहुंचाना, जिससे आम जनमानस में आक्रोश व्याप्त हो गया, इस सम्बन्ध में थाना कोपागंज में मु0अ0सं0 529/20 धारा 153ए, 504 भादवि0 व 67 आइटी एक्ट पंजीकृत किया गया। तत्पश्चात पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा आरोपी के तत्काल गिरफ्तारी हेतु पुलिस की तीन टीमों को गठित कर आवश्यक दिशा–निर्देश दिये गये थे।

पूछताछ के दौरान उक्त अभियुक्तों द्वारा बताया गया कि वर्तमान में वह सुहेलदेव समाज पार्टी में है। आपत्तिजनक वीडियो जो वायरल हो रहा है वह दिनांक 01–10–2020 को रविदास मंदिर फैजुल्लाहपुर बलुआ थाना कोपागंज में दिये भाषण का हिस्सा था। साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों द्वारा यह भी बताया गया कि हम लोगों की योजना थी कि वायरल हुये वीडियो के माध्यम से समाज में जातीय भावना भड़कायी जाय।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण–

1– **कमल भारती पुत्र रामपत राम निवासी भांवरकोल थाना कोपागंज मऊ।**
2– गनेश भारती पुत्र पतिराम निवासी भवरकोल थाना कोपागंज मऊ।
3– रवीन्द्र गौतम पुत्र स्व0 बसन्त राम निवासी भदसा मानवपुर थाना कोपागंज मऊ।

गिरफ्तारकर्ता पुलिस टीम–

निरीक्षक श्री अविनाश सिंह प्रभारी एसओजी टीम, उ0नि0 अमित मिश्रा, हे0का0 जवाहर सरोज, का0 रितेश, नीरज शर्मा, सुशील यादव, संजीव सिंह, विवेक पाण्डेय व चालक शत्रुधन एसओजी टीम।

निरीक्षक श्री राजेश प्रसाद यादव प्रभारी स्वाट टीम, का0 सर्वेश यादव, अनिल यादव, नीरज यादव, अजय यादव व चालक नागेन्द्र सिंह स्वाट टीम।

निरीक्षक श्री समर बहादुर सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना घोसी, का0 अवधेश यादव, देवेन्द्र तिवारी, अतुल वर्मा, मोहन प्रसाद व महिला आरक्षी पूनम पाण्डेय थाना घोसी।

एक वांछित अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 06.10.2020 को देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 748/20 धारा 354ख भादवि0 व 7/8 पोक्सों एक्ट में वांछित अभियुक्त तेजू राम पुत्र स्व0 पूजन राम निवासी भार थाना सरायलखंसी मऊ को गिरफ्तार कर चालाना न्यायालय किया गया।